भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 175

दिनांक 04.12.2023 को उत्तर के लिए

मैंग्रोव वृक्षारोपण

175. श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर:
श्री भोला सिंह:
डॉ.सुकान्त मजूमदार:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिकीय व्यवहार्यता के संबंध में किए गए सर्वेक्षण, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है और आर्द्रभूमियों के परिरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में आर्द्रभूमियों और ऐसे अन्य पारिसंवेदनशील क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार समुद्र तट के किनारे और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टैंजिबल इनकम्स (एमआईएसएचटीआई) कार्यान्वित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस नीति के अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा गत वर्ष के दौरान मैंग्रोव वृक्षारोपण के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूचीकरण और आकलन (एनडब्ल्यूआईए) कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र - इसरो, अहमदाबाद द्वारा एक उपग्रह आधारित सर्वेक्षण किया गया था

और "राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन मानचित्र, 2017" प्रकाशित किया गया था। यह अनुमानित है कि देश में लगभग 2,31,195 आर्द्रभूमियाँ (1:50000 के पैमाने पर और 2.25 हेक्टेयर से अधिक या उसके बराबर क्षेत्रफल वाली) हैं। इनमें झीलें/तालाब, गोखुर झील, अधिक ऊँचाई पर स्थित और नदीय आर्द्रभूमियां, जलभराव क्षेत्र, नदियां/जल धाराएं, टैंक, जलाशय, ताल, सँकरी खाड़ी, रेतीले समुद्र तट, प्रवाल, मैंग्रोव, पंकभूमि, लवण-कुण्ड, जलीय कृषि तालाब, आदि शामिल हैं। आर्द्रभूमियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन के संबंध में विभिन्न संस्थानों/संगठनों द्वारा किए गए कुछ अध्ययन रिपोर्टें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रतिबंधित किए बिना इसकी पारिस्थितिक विशेषताओं के संरक्षण, प्रबंधन और रखरखाव के लिए देश भर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन हेतु एक विनियामक ढांचे के रूप में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करना, आर्द्रभूमियों में निवारक उपाय करना और संरक्षण प्रबंधन पद्धतियों को लागू करना है।

(ग) और (च) तटीय पर्यावासों और नियमित आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी), विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून, 2023 के अवसर पर शुरू की गई थी और तदनुसार, मंत्रालय ने मिष्टी गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु संचालन दिशानिर्देश तैयार किए हैं और इसे योजनाओं की तैयारी के लिए राज्यों को परिचालित किया गया है। इसके अलावा, राज्यों को मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ समायोजन के माध्यम से मिष्टी के तहत गतिविधियां शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। मिष्टी के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार प्रस्तावित लक्ष्य **अनुबंध-1** पर दिए गए हैं।

*****

अनुबंध-1

तालिका: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मिष्टी के तहत शामिल किए गए क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**गतिविधियों के लिए शामिल किया गया लक्षित क्षेत्र (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)**
1	आंध्र प्रदेश	133.35
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.75
3	गुजरात	6088.50
4	गोवा	35.00
5	कर्नाटक	240.00
6	महाराष्ट्र	141.78
7	पश्चिम बंगाल	828.00
8	पुदुचेरी	21.00
9	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	55.66
	कुल	**7580.70**

*****